

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण शांभुप्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी,
सभी जिला आयुष समिति, (पटना को छोड़कर)
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 25/06/2026

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2026-27 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रु0 27,93,68,000/-(रुपये सताईस करोड़ तिरानवे लाख अड़सठ हजार) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु0 18,62,45,333/-(रुपये अठारह करोड़ बासठ लाख पैतालीस हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र अर्थात् कुल राशि रु0 46,56,13,333/-(रुपये छियालीस करोड़ छप्पन लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र में से तत्काल राशि रु0 27,80,000/-(रुपये सताईस लाख अस्सी हजार) मात्र के व्यय हेतु आवंटन।

प्रसंग:- राज्य आयुष समिति बिहार, पटना के पत्रांक-419, दिनांक-15.06.2026।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-154(7ए0), दिनांक-07.05.2026 के द्वारा राजकोषीय माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2026-27 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रु0 27,93,68,000/-(रुपये सताईस करोड़ तिरानवे लाख अड़सठ हजार) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु0 18,62,45,333/-(रुपये अठारह करोड़ बासठ लाख पैतालीस हजार तीन सौ तेतीस) मात्र अर्थात् कुल राशि रु0 46,56,13,333/-(रुपये छियालीस करोड़ छप्पन लाख तेरह हजार तीन सौ तेतीस) मात्र के व्यय निमित्त अधिसीमा की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत्यादेश के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागीय आवंटनादेश संख्या-163(7ए0), दिनांक-19.05.2026 के द्वारा राज्य आयुष समिति को राशि रु0 25,00,00,000/-(रुपये पच्चीस करोड़) मात्र के व्यय हेतु आवंटन उपलब्ध करायी जा चुकी है।

2- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-154(7ए0), दिनांक-07.05.2026 के द्वारा स्वीकृत राशि रु0 46,56,13,333/-(रुपये छियालीस करोड़ छप्पन लाख तेरह हजार तीन सौ तैंतीस) मात्र के आलोक में राज्य आयुष समिति बिहार, पटना के पत्रांक-419, दिनांक-15.06.2026 के द्वारा विवरणी (प्रतिलिपि सलग्न) उपलब्ध कराते हुए तत्काल राशि रु0 27,80,000/-(रुपये सताईस लाख अस्सी हजार) मात्र के व्यय हेतु सभी जिला आयुष समिति, (पटना को छोड़कर) को आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3- अतः राज्य आयुष समिति बिहार, पटना के पत्रांक-419, दिनांक-15.06.2026 के आलोक में राजकोषीय माध्यम वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत राज्य आयुष मिशन के लिए Mother Sanction के रूप में SAAP 2026-27 में स्वीकृत केन्द्रांश मद की राशि रु0 27,93,68,000/-(रुपये सताईस करोड़ तिरानवे लाख अड़सठ हजार) मात्र एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद की राशि रु0 18,62,45,333/-(रुपये अठारह करोड़ बासठ लाख पैतालीस हजार तीन सौ तेतीस) मात्र अर्थात् कुल राशि रु0 46,56,13,333/-(रुपये छियालीस करोड़ छप्पन लाख तेरह हजार तीन सौ तेतीस) मात्र में से तत्काल राशि रु0 27,80,000/-(रुपये सताईस लाख अस्सी हजार) मात्र के व्यय हेतु निम्नानुसार राशि आवंटित की जाती है (राशि रुपये में)--

क्र स०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	कुल राशि (100%)
1	माग सख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, लघु शीर्ष-200-अन्य पद्धतियां, उपशीर्ष-0202-औषधीय पौधो सबधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210022000202	31-04	0	0	0
		31-05	0	0	0
		31-06	16,68,000	11,12,000	27,80,000
कुल			16,68,000	11,12,000	27,80,000

4- सभी जिला आयुष समिति, बिहार भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सख्या-879 दिनांक-24.01.2025 के दिशा-निदेशो के अनुरूप विधिवत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि व्यय करेंगे।

5- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्राक-879, दिनांक-24.01.2025 सह पठित Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt. of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

6- ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य आयुष समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है:-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	SNA SPARSH खाता का नाम	SNA SPARSH खाता सख्या
National Ayush Mission	GOBHSPARSH BR176BrNAM9158, Reserve Bank Of India, Patna	01585501193

7- सभी आयुष समिति, बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र Form GFR12C में उपलब्ध करायेगे।

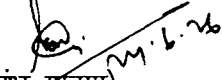
8- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9- राशि की आवंटन SNA SPARSH Model के अनुसार CFMS 2.0 के माध्यम से की जायेगी।

10- राशि की निकासी सभी जिला आयुष समिति, बिहार के मामले में संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

11- राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


 (शंभु शरण)
 सरकार के अपर सचिव
Handwritten signature

ज्ञापांक— सं०स०-7/रा०आ०मि०-39-01/2021- 2307A/स्वा०, पटना, दिनांक 25/06/2026

प्रतिलिपि— वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, शेखपुरा, पटना/वित्त प्रबन्धक, राज्य आयुष समिति, बिहार, पटना/सभी जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला आयुष समिति, बिहार/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— सचिव, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद), आयुष निदेशालय, पटना/ लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई-मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

Murad